12/A

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री भगवत सिंह देवल

निगरानी संख्या 2/14 तारीख रजू– 17/02/14

सरूपा उर्फ रामस्वरूप पुत्र रामरतन जाति गुर्जर , निवासी ग्राम रजमाना , तहसील चौथ का बरवाड़ा , जिला सवाई माधोपुर

–––निगरानी गुजार (प्रार्थी)

बनाम

1– मोहनलाल 2– नेहनूलाल 3– पुखराज 4– बाबूलाल पुत्रान गोपी जाति गुर्जर
5– ग्राम पंचायत रजमाना द्वारा संरपच ग्राम पंचायत रजमाना तहसील चौथ का बरवाड़ा पंचायत समिति सवाई माधोपुर।

–अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक– 30/01/17

प्रार्थीगण ने यह निगरानी प्रार्थनापत्र ग्राम पंचायत रजमाना के निर्णय दिनांक 04/09/1961 व 30/04/1997 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त निर्णय द्वारा ग्राम पंचायत रजमाना ने ग्राम रजमाना में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के हक में पट्टा जारी किया है। निगरानीगुजार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत द्वारां पारित निर्णय दिनांक 04/09/1961 व 30/04/1997 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई । अप्रार्थीगण मय वकील उपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान वकील निगरानी गुजार (प्रार्थीगण) ने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे निवेदन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अदालत मातहत ने बिना साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। अदालत मातहत ने बिना आपत्ति नोटिस जारी किये ही उक्त निर्णय पारित कर दिया है। अदालत मातहत ने निगरानीकर्ता को दिनांक 01/06/89 को मकान बनाने की इजाजत दी थी। जिसमें निगरानीकर्ता काबिज है। अदालत मातहत ने इस निर्णय को नजर अन्दाज कर अप्रार्थीगण को पट्टा जारी कर अहम भूल की है। अदालत मातहत ने अप्रार्थीगण को गलत तरीके से निगरानीकर्ता के भूखण्ड में दरवाजा निकलाने की इजाजत प्रदान की है जबकि अन्य दिशाओं में आम रास्ता उपलब्ध है। अप्रार्थीगण द्वारा निगरानीकर्ता के भूखण्ड की और से दरवाजा निकला जाता है तो पूरा भूखण्ड कोई काम का नहीं रहेगा। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करते हुए अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/04/1997 व 04/09/1961 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया है कि उक्त वाद आराजीयात अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 के कब्जे काश्त की भूमि है एवं कब्जे काश्त की भूमि पर ही पट्टा दिया गया है। अदालत मातहत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व मौका रिपोर्ट ली गई जिस पर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

तीन पंचों व सेक्रेटरी के हस्ताक्षर है। मय ब्याज पट्टे की राशि जमा करवाई गई है। वर्ष 1961 से 1997 तक कार्यवाही चली है। जिसमें अप्रार्थीगण की कोई गलती नहीं है। दक्षिण में निगरानीकर्त्ता द्वारा फर्जी तरीके से अतिक्रमण कर पट्टा बनाया गया है। अप्रार्थीगण को नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। दक्षिण में अप्रार्थीगण का रास्ता है। अतः निगारानीकर्ता की निगरानी अस्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/04/1997 व 04/09/1961 यथावत रखा जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहुंचा हुं कि उक्त प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय 04/09/1961 से पूर्व अदालत मातहत ने कोई मौका रिपोर्ट उक्त वाद आराजीयात के संबंध में नहीं ली है ना हि पंचायती राज नियम के अर्न्तगत एक माह का आपत्ति नोटिस जारी किया गया है बिना किसी मौका रिपोर्ट एवं आपत्ति नोटिस जारी किए बिना ही अदालत मातहत द्वारा निर्णय दिनांक 04/09/1961 पारित कर दिया गया है। इसी प्रकार दिनांक 13/03/97 को सचिव द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें सचिव ,देवकरण ,बदरी, शंकरी के हस्ताक्षर मौजुद है। निर्णय दिनांक 30/04/1997 में भी उक्त देवकरण, बदरी, शंकरी व संरपच के हस्ताक्षर मौजुद है। मौका रिपोर्ट व आदेश दिनांक 30/04/1997 पर एक की व्यक्तियों/साक्ष्यों के हस्ताक्षर होने से उक्त मौका रिपोर्ट संदेहप्रद प्रतीत होती है। मौका रिपोर्ट पर साक्ष्य की जाति/बलयिद का भी उल्लेख नहीं किया गया है एवं पंचायती राज नियम 1956 के अनुसार अदालत मातहत द्वारा पट्टा जारी करने से एक माह पूर्व आपत्ति नोटिस जारी नहीं किया गया है। वकील रेस्पोडेन्ट ने उक्त वाद आराजीयात के दक्षिण भाग में अपीलान्ट की भूमि ने होकर आम रास्ता होने के संबंध में कोई राजस्व रिकोर्ड/दस्तावेज पेश नहीं किया है। जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत हाजा में प्रस्तुत नक्शा ट्रेस व मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त वाद आराजीयात के दक्षिण भाग में आम रास्ता कुण्डेरा जाने का अंकन किया हुआ है। उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज नियम के अर्न्तगत निर्णय पारित न कर कानूनी भूल की है। अतः मेरे अभिमत में निगरानीगुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य पाई जाती है एवं अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04/09/1961 व 30/04/1997 नियमों के विपरित पारित होने के कारण निरस्त योग्य पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरीन गुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करते हुए अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04/09/1961 व 30/04/1997 ग्राम पंचायत रजमाना निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30/01/2017 को लिखया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर